उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

अग्निसचेतक योजना

बचाव ही हमारा कर्तव्य है

उ० प्र० अग्निशमन सेवा

लखनऊ

अग्निसचेतक योजना

भूमिका :

- ❑ उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग अब आपात सेवा के रूप में भी अपना योगदान देगी।
- ❑ उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 प्रख्यापित हो चुकी है. जिसके द्वारा जनमानस को निर्बाध सेवा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- ❑ उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा अग्निसचेतकों को प्रशिक्षित कर उनकी भूमिका लगातार बढ़ायी जा रही है। जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता का विस्तार हो रहा है।
- ❑ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर निगरानी हेतु मुख्यालय स्तर पर तथा प्रदेश के समस्त जनपदों में सोशल मीडिया सेल के द्वारा किया जाता है। इस माध्यम से न केवल अग्किांण्ड/जीव रक्षा की त्वरित जानकारी मिलती है, बल्कि इनका तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही भी की जाती है।
- ❑ उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए 13 प्रकार की स्कीम को समय–समय पर चलाया जाता है। इससे अग्नि दुर्घटनाओं में अत्यधिक कमी आती है।
- ❑ उत्तर प्रदेश में शहरी व ग्रमीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 33,000 अग्निकाण्ड होते है, जिसमें करोडों रूपये की सम्पत्ति जल जाती है एवं लगभग सैकड़ों मनुष्य एवं हजारों पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। प्रदेश के 2,43,286 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में 75 जनपद है, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग रहते है। इतनी कम जनशक्ति से प्रदेश में अग्निशमन का कार्य प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक किए जाने में कठिनाई होती है। इसलिए अग्नि सुरक्षा उपायों/कार्यों के सम्बन्ध में लोगो को निरन्तर प्रशिक्षित किया जाता है।
- ❑ जन–सामान्य को अवगत कराने हेतु यह पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

उद्देश्य

अग्नि सचेतक योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं आग को रोकने व अग्निशमन के उपायों के बारे में अवगत कराना है।

योजना का स्वरूप

इस योजना को निम्नलिखित 3 स्तर पर चलाया जाना वांछित है :

1. **ग्रामीण क्षेत्र :** ग्रामीण क्षेत्रों के अग्निशमन अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाकर और उनका अभिलेखीकरण करेंगे। उनमें से प्रत्येक माह प्रशिक्षण हेतु गाँव को अंगीकृत (Adopt) करेंगे। अग्निशमन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी स्वयं उस गाँव में जाकर ग्राम प्रधान का सहयोग प्राप्त कर उस गाँव तथा निकटवर्ती गाँवों के नव–युवकों को आग की भयावहता के संबंध में जागरूक करेंगे तथा उन्हें आग की रोकथाम, अग्निशमन व आग से बचाव के उपायों के संबंध में 3 दिन का प्रशिक्षण देंगे।
2. **शहरी क्षेत्र :** इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र के दुर्घटना प्रभावी क्षेत्रों, व्यवसायिक केन्द्रों, संस्थानों का पता लगाकर

Farma Tukri F/B (Booklet)

अभिलेखीकरण करेंगे और किसी एक क्षेत्र/व्यवसायिक केन्द्र/संस्थान को अंगीकृत करेंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी स्वयं जाकर वहाँ के निवासियों, कर्मचारियों, नवयुवकों को अग्नि की भयावहता से अवगत करायेंगे तथा आग की रोकथाम, अग्निशमन व आग के बचाव के उपायों के संबंध में 3 दिन का प्रशिक्षण देंगे।

3. **स्कूल/कालेज** : प्रत्येक मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य से सम्पर्क/सहयोग प्राप्त कर माह में एक बार कम से कम किसी एक स्कूल/कालेज में जाकर आग के प्रति जागरूकता बढ़ाने, आग के रोकथाम, अग्निशमन व आग से बचाव सम्बन्धी उपायों के बारे में वक्तव्य/प्रशिक्षण देंगे।

योजना की विषय वस्तु :–

वैसे तो आग कहीं पर, किसी भी स्थान पर और कभी भी लग सकती है तथापि आप के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित स्थानों/भवनों पर अग्नि सुरक्षा एवं तत्संबंधित ड्रिल के संबध में निर्देश दिये जा रहे हैं. (संलग्नक)

1. घरों	2. बहुमंजिले भवनों	3. पेट्रोल पम्प	4. अस्थाई पंडालों
5. एल.पी.जी. भण्डारण	6. ग्रामीण क्षेत्रों	7. स्कूलों	8. नगरों
9. कार्यालयों	10. रसोईघरों	11. सिनेमा घरों	12. उद्योगों

ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा हेतु अग्नि निरोधक झोपड़ी तथा विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले फायर एक्सटिंग्यूशर के चुनाव के संबंध में भी निर्देश संलग्न है।

प्रशिक्षण के दौरान संम्बधित अधिकारी द्वारा आग की रोकथाम के उपाय, आग लगने के कारण एवं प्रक्रिया, आग लगने पर किया जाने वाला कार्य, आग बुझाने की विधियाँ, आग लगने पर स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, जीव रक्षा के उपाय एवं प्राथमिक उपचार, अग्निशमन विभाग से सामंजस्य की जानकारी, अग्निशमन उपकरणों की जानकारी, अग्नि नियंत्रण हेतु अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी, हाईड्रेण्टस, नलकूप व पानी के अन्य श्रोतों इत्यादि के संबन्ध में आवश्यक जानकारी दी जायेगी।

प्रशिक्षण की अवधि

1. प्रथम प्रशिक्षण 3 दिवस का होगा जिसके संबंध में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।
2. द्वितीय प्रशिक्षण 7 दिन का होगा। जो नव–युवक 3 दिन का प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसी क्रम में उन्ही में से इच्छुक युवकों को शेष 4 दिन का प्रशिक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा संबंधित अग्निशमन केन्द्र पर दिया जायेगा। स्कूल/कालेजों में कम से कम 1 घण्टे का वक्तव्य दिया जायेगा तथा उपलब्धता के अनुसार अग्नि से संबंधित पम्फ्लेट्स एवं अन्य रोचक/ज्ञानवर्धक सामग्री वितरित की जायेगी।

प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना

7 दिन की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नव–युवकों को संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी के हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। सफल अभ्यर्थी वह कहलायेंगें जो प्रशिक्षण के पश्चात फायर से संबंधित आयोजित क्विज में पास

होंगे। प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न है।
प्रशिक्षण के पश्चात प्रमाण–पत्र पाने वाले नवयुवकों को पात्रता के अनुसार होमगार्ड की भर्ती में वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, उ०प्र० लखनऊ से अनुरोध किया जा रहा है।

संसाधन

प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रदान किये जाने का कार्य प्रथमतः अग्निशमन केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों द्वारा ही किया जायेगा। प्रत्येक फायर स्टेशन को उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथासंभव प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री जैसे पम्फलेट्स आदि उपलब्ध करायी जायेगी।

अन्य आवश्यक निर्देश

1. अग्नि दुर्घटना प्रभावित गाँव के चयन का आधार आग से संबंधित आँकड़े एवं उनमें अग्निशमन हेतु प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वाधिक अभाव होगा।
2. इस संबंध में अग्निशमन केन्द्र पर एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें चयनित/अंगीकृत गाँव का नाम तथा कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, के संबंध में विवरण लिखा जायेगा।
3. अंगीकृत गाँव/क्षेत्र की सूचना प्रशिक्षण देने से पूर्व उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा को दी जायेगी और प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित युवकों के नाम, पिता का नाम आयु व पते की सूची भेजी जायेगी।
4. प्रशिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी औचक रूप से किया जा सकता है।
5. इस योजना में स्थानीय निकाय के अधिकारियों व सदस्यों/डी०पी०आर०ओ०/बी०डी०ओ०/क्षेत्रीय समितियों तथा डी०आई०ओ०एस० का भी सहयोग प्राप्त करें।

सलग्नक : उक्त

हस्ताक्षर

(अविनाश चन्द्र)
महानिदेशक
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा
लखनऊ

विषय सूची

निर्देश

क्रम सं०	विषय	पेज नं०
1.	घरों में अग्नि सुरक्षा	5
2.	बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा	6
3.	पेट्रोल पम्प पर अग्नि सुरक्षा	7
4.	अस्थाई पंडालों में अग्नि सुरक्षा	8
5.	एल० पी० जी० भंडारण में अग्नि सुरक्षा	9
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा	10
7.	अग्नि निरोधक झोपड़ी	11
8.	नगरों में अग्नि सुरक्षा	12
9.	कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा	13
10.	दीपावली में अग्नि सुरक्षा	14
11.	पटाखों की दुकान में अग्नि सुरक्षा	15
12.	सिनेमा हाल में अग्नि सुरक्षा	16
13.	उद्योगों में अग्नि सुरक्षा	17
14.	उचित फायर एक्सटिंग्यूशर का चुनाव	18
15.	प्रमाण पत्र का प्रारूप	19
16.	महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर	20

अग्नि सुरक्षा निर्देश–1

(घरों में अग्निसुरक्षा)

- ❖ बिजली के निर्धारित भार का ही प्रयोग करें।
- ❖ बिजली के प्लग में निर्धारित बिजली के उपकरण का प्रयोग करें।
- ❖ घर के बिजली वायरिंग में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित बिजली के तार व उपकरण का प्रयोग करें।
- ❖ बिजली वायरिंग में निर्धारित एम० सी० बी० व ई० एल० सी० बी० का प्रयोग करें।
- ❖ बिजली के प्रेस को उपयोग के बाद बन्द कर देना चाहिये।
- ❖ मोमबत्ती, चिराग, अँगीठी का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें।
- ❖ घर में बिजली व गैस की आग बुझाने हेतु फायर एक्सटिंग्यूशर रखे।
- ❖ कपड़ों में आग लगने पर भागे नहीं बल्कि जमीन पर लेट कर लुढ़के।

रसोईघर में आग से सुरक्षा

- ❖ निर्धारित समय पर गैस में लगे रबर के पाईप को बदल दें।
- ❖ गैस लीक करने पर किचेन में बिजली के स्विच को आफ अथवा आन न करें।
- ❖ गैस का सिलेण्डर सदैव खड़ा रखे।
- ❖ रात्रि में सोने से पहले गैस के सिलेण्डर का वाल्व बन्द कर दें।
- ❖ जलते हुये स्टोव व लालटेन में मिट्टी का तेल न भरें।
- ❖ भोजन बनाते समय अपने शरीर के कपड़ों का प्रयोग चूल्हे पर चढ़े बर्तनों को उतारने के लिए न करें।
- ❖ खाना बनाते समय ढीले–ढाले आँचल को बांध कर रखें, उसे चूल्हे व स्टोव की आग की लपटों से बचाकर रखें।

आग लगने पर की जानी वाली कार्यवाही

- ❖ आग लगने पर सबको बतायें।
- ❖ आग बुझाने का प्रयास करें।
- ❖ कपड़े में आग लगने पर दौड़े नहीं बल्कि जमीन पर लेटकर लुढ़के।
- ❖ आग बुझाने में असफल होने पर दरवाजा बन्द कर बाहर निकलें।
- ❖ बिजली से आग लगने पर बिजली की सम्पूर्ति बन्द कर दें।

(फायर ड्रिल)

1. आग लगने पर आग–आग चिल्लाएं जिससे अधिक से अधिक लोग सहायता हेतु एकत्र हो सकें परन्तु घबरायें नहीं, धैर्य रखें।
2. एल. पी. जी. सिलेण्डर में आग लगने पर रेगूलेटर बंद कर दें।
3. गैस के आग को ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर से बुझाएं।
4. बिजली में आग लगने पर बिजली की सम्पूर्ति मेन स्विच से बंद कर दें।
5. शरीर के कपड़ों में आग लगने पर दौड़े नहीं बल्कि जमीन पर लेट कर लुढ़कें।
6. आग को मोटे कपड़े अथवा कम्बल से ढक दें।
7. लकड़ी, कागज, कपड़े इत्यादि की आग को पानी से बुझायें।
8. आग लगने की सूचना तत्काल निकटतम फायर सर्विस / पुलिस कन्ट्रोल / पुलिस स्टेशन को दें।

अग्निसुरक्षा निर्देश – 2

(बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा)

सामान्य निर्देश

- भवन के चारो तरफ कार पार्किंग इस प्रकार करें कि फायर सर्विस के वाहनों के आवागमन में कोई बाधा न हो।
- भवन में रहने वाले व्यक्तियों को भवन में स्थापित प्राथमिक अग्निशमन उपकरण, फायर डिटेक्टर, फायर हाईड्रेण्ट तथा फायर स्मोक चेक दरवाजे का ज्ञान होना चाहिये।
- भवन मे समस्त व्यक्तियों को पलायन मार्ग व रिफ्यूज एरिया का ज्ञान होना चाहिये।
- पलायन मार्गों में किसी प्रकार बाधा न पहुंचायें।
- भवन मे आग लगने पर किये जाने वाले फायर ड्रिल का अभ्यास वर्ष में 2 बार करें।
- भवन में स्थापित प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों, फायर डिटेक्शन, फायर हाईड्रेण्ट का निरीक्षण समय–समय पर करायें।

आग लगने पर निम्न कार्यवाही करें

- आग लगने पर सूचना दें।
- आग लगने पर उसे बुझाने का प्रयास करें।
- आग बुझाने में असफल होने पर कमरे के दरवाजे बन्द कर भवन से निकल जायें।
- धुँए में फंस जाने पर जमीन के सहारे चलें।
- आग लगने पर निकटतम पलायन मार्ग से भवन से बाहर निकलें।
- आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग न करें।
- धूम्रपान निषेध व अग्नि सुरक्षा के उपरोक्त निर्देश बनाकर प्रमुख स्थान पर टांगकर रखे तथा आग लगने पर सर्वसम्बंधित को तत्काल सूचना दें।

(फायर ड्रिल)

1. आग लगने पर आग–आग चिल्लाएं अथवा मैनुअल काल प्वाइन्ट के शीशे को तोड़े, जिससे अधिक से अधिक लोगों को आग की जानकारी हो सके।
2. आग बुझाने के लिये प्रत्येक तल पर लगे प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों जैसे–फायर एक्सटिंग्यूशर अथवा होज रील का प्रयोग करें।
3. बड़ी आग होने पर फायर हाइड्रेन्ट में लगे फायर होज का प्रयोग करें।
4. आग लगने पर फायर / स्मोक चेक डोर को अवश्य बंद करें।
5. आग लगने पर सदैव फायर स्केप / सीढ़ी का प्रयोग करें।
6. लिफ्ट का प्रयोग न करें।
7. आग लगने पर फायर सर्विस / पुलिस कन्ट्रोल को सूचना दें।
8. आग की सूचना निकटतम फायर स्टेशन अथवा पुलिस स्टेशन को भी दी जा सकती है।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 3
(पेट्रोल पम्प)

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

- ❖ निर्धारित संख्या में सूखे बालू से भरी बाल्टियाँ रखें।
- ❖ ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को बुझाने के लिए निर्धारित/पर्याप्त संख्या में तेल व बिजली की आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में पेट्रोल पम्प पर सदैव रखें।
- ❖ पेट्रोल पम्प के समस्त कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्यूशर के प्रयोग की विधि बतायें।
- ❖ महीने में एक बार पेट्रोल पम्प पर फायर ड्रिल करें।

सामान्य स्थिति में पेट्रोल पम्प पर बरती जाने वाली सावधानियाँ

- ❖ टैंकर से अण्डर ग्राउन्ड टैंक में पेट्रोल/डीजल भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उचित अर्थिंग कर ली गयी है।
- ❖ पेट्रोल/डीजल भरते समय ध्यान रखें कि अण्डर ग्राउन्ड टैंक ओवर फ्लो न हो क्योंकि ऐसी स्थिति में बिखरे हुये पेट्रोल में आग लग सकती है।
- ❖ पेट्रोल पम्प पर रखे जाने वाले उत्पादों/उपकरणों को व्यवस्थित ढंग से रखें।
- ❖ पेट्रोल पम्प पर कूड़ा, सूखी घास, तेल से भीगे कपड़े अथवा झाड़न को इधर–उधर न फेंके इन्हें कूड़ेदान में रखें और उसके बाद कूड़ेदान को पेट्रोल पम्प से दूर कर दें, अन्यथा ऐसी सामग्री में अपने आप आग लगने की सम्भावना रहती है।
- ❖ पेट्रोल पम्प के परिसर में कहीं पर यदि पेट्रोल किन्हीं कारणवश गिर गया हो तो उस पर सूखा बालू डालकर उसकी सफाई करा दें।
- ❖ पेट्रोलियम पदार्थों एवं उसके वाष्प को नाली में न जाने दें।
- ❖ पेट्रोल टैंक, पेट्रोल पम्प में बिजली की लाइन फ्लेमप्रूफ होनी चाहिये।
- ❖ पेट्रोल पम्प पर लाइटर, दियासलाई तथा मोमबत्ती इत्यादि का प्रयोग न करें। आवश्यकता पड़ने पर टार्च का प्रयोग करें।
- ❖ गाड़ियों का इंजन बन्द करवाने के पश्चात ही पेट्रोल/डीजल भरें।
- ❖ पेट्रोल पम्प पर फर्स्ट एड बाक्स रखें।
- ❖ धूम्रपान निषेध व अग्नि सुरक्षा के उपरोक्त निर्देश बनाकर प्रमुख स्थान पर टांग कर रखें तथा आग लगने पर सर्व–सम्बधित को तत्काल सूचना दें।

(फायर ड्रिल)

1. आग लगने पर आग आग चिल्लाएं जिससे अधिक से अधिक लोग सहायता हेतु एकत्र हो सकें।
2. आग बुझाने के लिये निर्धारित फायर एक्सटिंग्यूशर अथवा बालू का प्रयोग करें।
3. आग के निकट से अन्य ज्वलनशील सामग्री को दूर हटायें।
4. तेल भरते समय गाड़ी में आग लगी हो तो उसे पेट्रोल पम्प से दूर ले जाने का प्रयास करें।
5. आग लगने पर बिजली की सम्पूर्ति बंद कर दें।
6. आग लगने की सूचना तत्काल फायर सर्विस/पुलिस कन्ट्रोल को दें।
7. आग लगने की सूचना निकटतम फायर/पुलिस स्टेशन को भी दी जा सकती है।
8. फायर सर्विस की गाड़ी आने पर उसे रास्ता दें तथा निकटतम पानी के श्रोत की जानकारी दें।
9. घटना स्थल पर भीड़ न एकत्र होने दें।.

नोट : विस्तृत विवरण हेतु पेट्रोलियम अधिनियम नियम का संदर्भ ग्रहण करें।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 4

(पण्डाल की अग्नि सुरक्षा)

पण्डाल या अस्थाई ढाँचा बनाते समय अग्नि से सुरक्षा हेतु उपाय भारतीय मानक ब्यूरो आई. एस. 8758–1993 में अग्नि सुरक्षा हेतु निर्देश निम्न हैः

- ❖ पण्डाल बनाने में सिन्थेटिक सामग्री से बना कपड़ा या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जाए। सूती कपड़ा नारियल व मनीला रस्सी का प्रयोग करें।
- ❖ किसी भी दशा में पण्डाल की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।
- ❖ पण्डाल के चारों तरफ 4.5 मीटर का खुला स्थान होना चाहिए, जिससे लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें।
- ❖ पण्डाल बिजली की लाइन के नीचे किसी भी दशा में न लगाया जाए।
- ❖ पण्डाल रेलवे लाइन, बिजली के सब स्टेशन चिमनी या भठ्ठी से कम से कम 15 मी० दूर लगाया जाए।
- ❖ बाहर निकलने का गेट 5 मीटर से कम चौड़ा न हो और अगर रास्ता मेहराबदार (आर्च) बनाया जाय तो भूमितल से ऊँचाई 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
- ❖ बाहर निकलने का रास्ता गुफा की तरह नहीं होना चाहिए।
- ❖ बाहर निकलने के कम से कम दो रास्ते होने चाहिए जिससे किसी आपातकाल में एक रास्ता अवरूद्ध हो जाने पर दूसरे रास्ते से बाहर निकला जा सके। जहाँ तक संभव हो सके दोनों रास्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो।
- ❖ कुर्सियों को चार–चार के समूह में नीचे से बाँधकर जमीन में कील गाड़कर स्थिर कर दिया जाय, जिससे भगदड़ के समय यह कुर्सियाँ अव्यवस्थित होकर बाहर निकलने के मार्ग को अवरूद्ध न कर दें।
- ❖ बिजली की व्यवस्था विद्युत कार्य के लाइसेन्सधारी ठेकेदारों से ही करायी जाये।
- ❖ तारों को किसी भी दशा में खुला नहीं होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो पोर्सलीन कनेक्टरों का प्रयोग करना चाहिए।
- ❖ एमरजेन्सी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ❖ पण्डाल की अग्नि सुरक्षा हेतु 0.75 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर स्थान हेतु ड्रम या बाल्टियों में सुरक्षित रखा जाय व इसका प्रयोग अग्निशमन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में कदापि न किया जाय। कुल पानी की आधी मात्रा पण्डाल के अन्दर व आधी पण्डाल के बाहर रखी जाय।
- ❖ विद्युत की आग की सुरक्षा हेतु एक कार्बन डाई आक्साईड गैस एक्सटिंग्यूशर या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्यूशर स्विच गेयर मेन मीटर और स्टेज के पास लगाया जाए।
- ❖ रसोई की स्थापना अस्थाई पण्डाल से अलग होनी चाहिए। आतिशबाजी का प्रयोग पण्डाल के पास कभी नहीं करना चाहिए।
- ❖ अग्निशमन हेतु समुचित मात्रा में पानी होना चाहिए।
- ❖ धूम्रपान निषेध व अग्निसुरक्षा के उपरोक्त निर्देश बनाकर प्रमुख स्थान पर टांगकर रखें तथा आग लगने पर सर्वसम्बंधित को तत्काल सूचना दें।

(फायर ड्रिल)

1. आग लगने पर आग–आग चिल्लाएं जिससे अधिक से अधिक लोग सहायता हेतु एकत्र हो सकें।
2. बिजली की सम्पूर्ति बन्द कर दें।
3. आग बुझाने हेतु उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर, पानी व बालू का प्रयोग करें।
4. पण्डाल से बाहर निकलने का प्रयास करें।
5. कपड़े में आग लगने पर दौड़े नहीं बल्कि जमीन पर लेटकर लुढ़कें।
6. आग लगने की सूचना फायर कन्ट्रोल अथवा पुलिस कन्ट्रोल को दें।
7. आग की सूचना निकटतम फायर स्टेशन अथवा पुलिस स्टेशन को भी दी जा सकती है।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 5

(एल०पी०जी० गोदाम)

संचालन व्यवस्था

संचालन व्यवस्था में समस्त उपकरणों को रिसाव मुक्त होना चाहिये तथा वेन्टीलेशन उचित होना चाहिये।

एल० पी० जी० गैस का भंडारण

- ❖ एल० पी० जी० गैस सिलेण्डर खड़ा रखने की स्थिति में एक के ऊपर एक 3 से ज्यादा न रखें।
- ❖ लिटा कर रखने पर भरा एल०पी०जी० गैस सिलेण्डर एक के ऊपर एक 5 से ज्यादा न रखें।
- ❖ खाली एल० पी० जी० गैस सिलेण्डर लिटाकर रखते हुये एक के ऊपर एक 7 से ज्यादा न रखें। लिटाकर रखे सिलेण्डर के अन्त में लकड़ी गुटका लगायें।
- ❖ सिलेण्डरों के बीच आवागमन के लिये कम से कम 60 से०मी० का चौड़ा रास्ता (GANGWAY) होना चाहिये।

वेन्टीलेशन

- ❖ एल० पी० जी० गोदाम में जमीन तथा छत पर उचित वेन्टीलेशन होना चाहिये। वेन्टीलेटर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप लोहे की जाली लगी होनी चाहिये।

बाउन्ड्रीवाल

- ❖ एल० पी० जी० गोदाम में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिये चारों ओर निर्धारित मानकों के अनुसार बाउन्ड्रीवाल होनी चाहिये।

कार्य संचालन

- ❖ एल० पी० जी० सिलेण्डर को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में वितरित करना चाहिये।

सुरक्षा

- ❖ फ्लेम प्रूफ बिजली की व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के प्रकाश का प्रयोग न किया जाय।
- ❖ धूम्रपान, माचिस का प्रयोग अथवा अन्य कोई आग लगने वाली वस्तु का प्रयोग सुरक्षा घेरे के अन्दर न करें।
- ❖ धूम्रपान निषेध का बोर्ड अवश्य रखें।निर्धारित क्षमता वाले पर्याप्त एक्सटिंग्यूशर परिसर न रखें।
- ❖ गोदाम के चारों ओर घास इत्यादि की सफाई रखें।
- ❖ एक महीने में कम से कम एक बार फायर ड्रिल करें।
- ❖ आग लगने पर की जाने वाली कार्यवाही का अभ्यास अवश्य करें।
- ❖ जिस सिलेण्डर में आग लगी हो उसे फायर एक्सटिंग्यूशर से बुझायें। जिस सिलेण्डर में आग लगी हो उस सिलेण्डर को गोदाम से बाहर कर दें।
- ❖ आग लगने की सूचना तत्काल निकटतम फायर स्टेशन अथवा थानों को दें।
- ❖ धूम्रपान निषेध व अग्नि सुरक्षा के उपरोक्त निर्देश बनाकर प्रमुख स्थान पर टांगकर रखें तथा आग लगने पर सर्वसम्बंधित को तत्काल सूचना दें।

(फायर ड्रिल)

1. आग लगने पर आग--आग चिल्लाएं जिससे अधिक से अधिक लोग सहायता हेतु एकत्र हो सकें।
2. जिस सिलेण्डर में आग लगी हो उसे अन्य सिलेण्डर से दूर खुले स्थान पर ले जाने का प्रयास करें।
3. सिलेण्डर की आग को ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर से बुझाने का प्रयास करें।
4 सिलेण्डर को पानी से भीगे कम्बल, बोरे से ढक दें।
5. आग लगने की सूचना फायर सर्विस/पुलिस कन्ट्रोल को दें।
6. आग लगने की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा फायर स्टेशन को भी दी जा सकती है।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 6
(ग्रामीण क्षेत्र में अग्निसुरक्षा)

- बिस्तर पर लेट कर धूम्रपान मत कीजिए।
- हुक्का पीने के पश्चात चिलम की आग को पूर्ण रूप से बुझाकर छोड़िए।
- जलते हुए बीड़ी–सिगरेट के टुकड़े को पैर से कुचलकर पूर्ण रूप से बुझाकर तब फेंकिए।
- खलिहान, तालाब या अन्य पानी के साधनों के निकट लगाइए।
- खलिहान के पास पानी के भरे घड़े व मिट्टी के ढ़ेर तैयार रखिए।
- खलिहान व फूस के मकान रेलवे लाइन से कम से कम 100 फीट की दूरी पर होने चाहिए।
- बिजली की लाइन के नीचे एवं ट्रान्सफार्मर के पास खलिहान न लगाइये और न फूस के छप्पर ही बनाइये।
- पुआल तथा कण्डों के पूर्ण रूप से सूख जाने पर निवास स्थान से कम से कम 100 फीट की दूरी पर ढ़ेर लगाइए।
- जलती हुई लालटेन व कुपी में मिट्टी का तेल न डालिए। चिराग व कुप्पियों को इस्तेमाल के पश्चात पूर्णरूप से बुझा दीजिए।
- चूल्हे की जलती बची लकड़ी को बुझाकर अलग रखे गरम राख को पूर्ण रूप से ठंडा करके, अच्छा होगा कि किसी गड्डे में फेंकिए। इसे कूड़े के ऊपर ढेर पर हरगिज मत फेकिए।
- रसोई घर की छत टीन से बनाइए और फूस की बनायें तो उसके अन्दर की ओर मिट्टी का लेप कीजिए।
- गर्मी के दिनों में गाँव के सूखे तालाब को ट्यूबवेल या नहर के पानी से भर दें, ताकि यदि आग लग जाये तो उस समय काम दें।
- ट्रैक्टर की चिंगारी से खलिहान को बचाइए।
- खेत में फूस उस समय जलाइए जब हवा न वल रही हो।
- शादी–विवाह अथवा त्योहार के समय खलिहान व फूस छप्पर आदि से दूर आतिशबाजी का प्रयोग करें।
- लैम्प व पेट्रोमैक्स सुरक्षित स्थान पर टांगिए। छप्परों में हरगिज मत टाँगिए।
- गाँव के तालाब व पानी के निकट फायर ब्रिगेड की मशीनों व यंत्रों के पहुँचने का साधन बराबर बनाये रखिए।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 7

(अग्निनिरोधक व जलनिरोधक झोपड़ी)

बनाने की विधि

- छप्परों के मजबूत ढाँचा बनाने हेतु 2 इंच मोटे बाँस को कसकर इस प्रकार बाँधे कि एक वर्गफुट का वर्गाकार खाने बन जायें। इस ढाँचे के ऊपर पूर्व प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार छप्पर बनायें।
- इस प्रकार के छप्परों के ढाँचा बनाने के लिए 2 इंच मोटे बॉसों को मध्य से चीरकर 6 इंच की दूरी पर रखकर बाँधे। इस ढाँचे के ऊपर भी पूर्व प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार छप्पर बनायें। छप्पर को दीवार तथा बल्लियों के ऊपर 30 डिग्री के झुकाव पर मजबूती से बाँधना चाहिए।
- मिट्टी का गारा बनाने के लिए 10 घनफुट चिकनी मिट्टी तथा 18 किलोग्राम भूसे या धान के बारीक कटे हुए पुआल का प्रयोग करें। इस गारे को एक सप्ताह तक पानी में भिगोकर रखें तथा इसे फावड़े व पैरों से गूथें जिससे यह अच्छी प्रकार से मिल जाए। इस प्रकार तैयार किए गए मिट्टी के गारे में तारकोल का विशेष घोल तैयार करके मिलावें।
- तारकोल (80/100 ग्रेड) 15 किलोग्राम को गर्म करके 3 लीटर मिट्टी के तेल अथवा डीजल में इस प्रकार मिलायें कि तारकोल पूर्णरूप से मिट्टी के तेल अथवा डीजल में मिल जाए। इस घोल को मिट्टी के गारे में इस प्रकार मिलायें कि घोल के काले धब्बे मिट्टी के गारे में न दिखायी दें।
- छप्पर के ऊपर, नीचे तथा दीवारों पर गारे का 4 इंच मोटा प्लास्टर लगायें। पहले प्लास्टर के सूख जाने के पश्चात् दरारों इत्यादि को भरने के लिए पुनः प्लास्टर करें, जिससे कोई दरार न रह जाए और इसे पूर्ण रूप से सुखा लें।
- गोबर तथा मिट्टी को बराबर–बराबर भाग में मिलाकर गोबरी तैयार की जाती है। इस गोबरी का छप्पर के ऊपर उक्त प्रकार से लगाये गये प्लास्टर पर लेप लगायें तथा सूखने के पश्चात पुनः एक लेप और लगायें।
- तारकोल (80/100 ग्रेड) 1 किलोग्राम को गर्म करके 2 लीटर मिट्टी का तेल अथवा डीजल में मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को ब्रश की सहायता से गोबरी किये हुए छप्पर के ऊपर दो बार लेप करें। इस प्रकार यह छप्पर पूर्णतः अग्नि निरोधक एवं जल निरोधक हो जाता है।
- छप्पर के कालेपन को दूर करने के लिए इसके ऊपर चूने तथा सरेस का घोल दो बार लगा दें अथवा गोबरी का लेप लगायें। ऐसा करने से ये देखने में सुन्दर लगता है।
- इस प्रकार तैयार किये गये छप्पर की साधारण छप्पर से तुलना करने पर यह पाया गया कि :
  - साधारण छप्पर तीव्रता से आग पकड़ लेता है तथा लपटों के साथ तेजी से जलता है और कुछ ही क्षणों में भस्म हो जाता है, जबकि इस प्रकार के छप्पर में न तो आग फैलती है न ही आग सुलगती है। अर्थात आग का कोई प्रभाव नहीं होता है।
  - इस विधि से तैयार छप्पर की आयु 6 से 8 वर्ष तक हो जाती है।
  - अग्नि निरोधक एवं जल निरोधक छप्पर बनाने में जो अधिक व्यय होता है उसकी पूर्ति छप्पर की आयु बढ़ने से हो जाती है।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 8

(नगर क्षेत्र के लिए अग्नि-निरोधक और अग्निशामक सिद्धान्त)

- बिस्तर में लेट कर सिगरेट–बीड़ी का प्रयोग मत कीजिए।
- बिना बुझाये हुए बीड़ी–सिगरेट के टुकड़ों को इधर–उधर मत फेंकिए।
- दियासलाई अबोध बच्चों की पहुँच से दूर रखिए।
- भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के ईधन को पूर्ण रूप से बुझाकर छोड़िए। भोजन बनाते समय अपने शरीर के कपड़ों का प्रयोग चूल्हे पर चढ़े बर्तनों को उतारने में न करें।
- जलते हुए स्टोव व लालटेन में मिट्टी का तेल न भरें।
- मोमबत्ती, चिराग, अंगीठी का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें।
- घर में बिजली के कटे–फटे तारों को तुरन्त बदलवा दें या मरम्मत करा लें। सही ढंग का फ्यूज लगायें व एक ही प्लग पर कई यंत्र न चलायें।
- कार्यालय व घरों के विद्युत स्टोव और आइरन प्रेस का प्रयोग करने के पश्चात प्लग निकाल कर तभी हटे।
- रात्रि में सोने से पहले गैस के सिलेण्डर का वाल्व बन्द करना न भूलिए।
- कुकिंग गैस सिलेण्डर में तनिक भी लीकेज का आभास होते ही पास–पड़ोस की अन्य अँगीठियों व जलती हुई बीड़ी सिगरेट को तुरन्त बुझा दें।
- लीक करने वाले सिलेण्डरों को तुरन्त घर से बाहर खुले स्थान पर निकाल कर रख दें और गैस कम्पनी को सूचित कर दें साथ ही साथ गैस लीकेज को बन्द करने का प्रयत्न करें।
- अपने मकानों, दुकानों और कारखानों में कुछ अग्निशमन यंत्र अवश्य रखिये और उसके प्रयोग विधि के विषय में जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के अग्निशमन केन्द्र से मदद लीजिए।
- आग लगने पर शोर मचाकर मकान के समस्त लोगों को आगाह कीजिए ताकि वे निकल कर बाहर आ सकें।
- आग लगने पर फायर बिग्रेड को टेलीफोन करके अवश्य बुलवायें, इसकी सेवायें हर समय निःशुल्क उपलब्ध है।
- अपने क्षेत्र के फायर स्टेशन का टेलीफोन नम्बर याद रखिये। पुलिस थाने पर भी आग की सूचना दी जा सकती है।
- फायर ब्रिगेड के पहुँचने तक हर संभव उपाय से आग बुझाने का प्रयास कीजिए।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 9
(कार्यालय में अग्नि सुरक्षा)

सामान्य निर्देश

1. कार्यालय में धूम्रपान न करें।
2. धूम्रपान की स्थिति में बीड़ी और सिगरेट को बुझाकर फेंकें।
3. कूड़ादान में जलती हुई दियासलाई, सिगरेट इत्यादि न फेंके।
4. कार्यालय में लगे पुराने बिजली के वायरिंग को बदलवा दें।
5. बिजली के एक ही प्लग पर निर्धारित संख्या से अधिक विद्युत उपकरणों को न जोड़ें।
6. कार्यालय बन्द होने पर बिजली के स्विच ऑफ कर दें तथा हीटर व पंखों तथा कूलर इत्यादि को बन्द कर दें।
7. पर्दो के निकट बिजली के तार तथा हीटर का प्रयोग न करें।
8. बिजली के वायरिंग के निर्धारित क्षमता से अधिक फ्यूज का प्रयोग न करें।
9. कार्यालय में फर्नीचर इस प्रकार रखें कि आग जलने की स्थिति में बिना बाधा के कार्यालय को खाली किया जा सके।
10. कार्यालय की अलमारी तथा फाइल इत्यादि को सही स्थान पर रखें।
11. आग लगने पर निर्धारित पलायन मार्गों का प्रयोग करें।
12. आग लगने पर सीढ़ी का प्रयोग करें तथा फायर स्मोक चेक डोर बन्द रखें।
13. आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग कदापि न करें।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

1. निर्धारित संख्या में फायर एक्सटिंग्यूशर रखें।
2. समुचित संख्या में पानी से भरी बाल्टियों व बालू से भरे फायर बकेट रखें।
3. कार्यालय में नियमानुसार फायर डिटेक्शन, हाइड्रेण्ट, होजरील इत्यादि की व्यवस्था करें।
4. बहुमंजिली भवनों में कार्यालय स्थापित होने पर पलायन मार्गों का ज्ञान रखें।
5. आग लगने पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास करें।
6. आग लगने पर फायर / पुलिस कन्ट्रोल को सूचित करें।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 10

(दीपावली में सावधानी)

- लक्ष्मी पूजन के स्थान से ज्वलनशील पदार्थ जैसे पर्दा आदि दूर रखें।
- दीया / मोमबत्ती सुरक्षित स्थान पर सजायें।
- बिजली की झालर आदि से बिजली के बोर्ड पर अतिरिक्त भार न दें तथा शार्ट सर्किट होने से आग लगने की ओर विशेष रूप से सतर्क रहें।
- बाजार से लाये गये पटाखों को घर के वयस्क व्यक्ति के नियंत्रण में सुरक्षित स्थान पर रखें।
- झुग्गी, झोपड़ी, आरामशीन, भूसे के ढेर की दीपावली पर्व में दिन रात एक संगठित टोली द्वारा उनकी बारी–बारी से निगरानी की जाय।
- दीपावली पर मोटे ओर चुस्त कपड़े पहने तथा ढीले और लहरदार सिन्थेटिक कपड़ों को न पहनें।
- अपने घर में पटाखे चलाते समय अग्नि दुर्घटना से तुरन्त निपटने हेतु 2 बाल्टी पानी भर कर तैयार रखें।

(फायर ड्रिल)

1. आग लगने पर आग–आग चिल्लाएं जिससे अधिक से अधिक लोग सहायता हेतु एकत्र हो सके।
2. पटाखों से कपड़ों में आग लगने पर बुझाने हेतु पानी का प्रयोग करें।
3. कपड़ों में लगी आग को बुझाने हेतु मोटे कपड़े जैसे–पर्दा अथवा कम्बल का प्रयोग किया जा सकता है।
4. कपड़ों में आग लगने पर दौड़े नहीं बल्कि जमीन पर लेटकर लुढ़कें।
5. पटाखे से जल जाने पर पानी का प्रयोग करें तथा चिकित्सक से सलाह लें।
6. आग लगने की सूचना फायर / पुलिस कन्ट्रोल को दें।
7. आग लगने की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा फायर स्टेशन को भी दी जा सकती है।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 11

(पटाखों की दुकान)

1. दुकानों के निर्माण में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न करें।
2. आग को फैलने से रोकने के लिए दो दुकानों के बीच समुचित दूरी रखें।
3. भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर दुकान न लगायें।
4. दुकानों पर लाइसेन्स के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही पटाखों को रखें।
5. दुकानों पर पटाखों को चलाकर ग्राहकों को न दिखायें।
6. दुकानों पर मोमबत्ती, दियासलाई, लाइटर का प्रयोग न करें।
7. दुकानों पर धूम्रपान न करें।
8. बिजली के तार के जोड़ों पर टेप का प्रयोग करें।
9. पटाखों से सटाकर हेलोजन लाइट का प्रयोग न करें।
10. कपड़ों में आग लगने पर दौड़े नहीं, बल्कि जमीन पर लेट कर लुढ़कें।
11. जल जाने पर पानी का प्रयोग करें तथा चिकित्सक से सलाह लें।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

1. दुकान पर समुचित मात्रा में पानी व बालू रखें।
2. आग लगने पर फायर/पुलिस कन्ट्रोल अथवा निकटतम फायर/पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

अग्नि सुरक्षा निर्देश - 12
(सिनेमा हाल में अग्नि सुरक्षा)

सामान्य निर्देश

1. सिनेमा हाल के अन्दर धूम्रपान न करें।
2. सिनेमा हाल के अन्दर ज्वलनशील पदार्थों को न ले जायें।
3. आग लगने पर निर्धारित निकास मार्ग का प्रयोग करें।
4. सिनेमा हाल में कुर्सियों के बीच के स्थान में बाधा न पहुँचायें।
5. आग लगने पर धैर्य रखें और जल्द से जल्द सिनेमा हाल को खाली कर दें।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

1. उचित और निर्धारित संख्या में निकास मार्ग।
2. निर्धारित संख्या में कुर्सियों की संख्या तथा उनके बीच की दूरी।
3. निर्धारित संख्या में फायर एक्सटिंग्यूशर।
4. पानी तथा बालू से भरे फायर बकेट की व्यवस्था।
5. इमरजेन्सी लाइट एवं फुट लाइट की व्यवस्था ।
6. आग लगने की सूचना फायर/पुलिस कन्ट्रोल को दें।
7. आग लगने की सूचना निकटतम फायर स्टेशन तथा पुलिस स्टेशन को भी दी जा सकती है।

अग्नि सुरक्षा निर्देश – 13
(उद्योगों में अग्नि सुरक्षा)

आग लगने के कारण

1. ज्वलनशील / दाहक पदार्थों का रिसना और बिखरना।
2. विद्युतीय शार्ट सर्किट / ओवरलोडिंग।
3. अधिक गर्म नंगी सतहें / हीटर्स / विद्युत लैम्पस।
4. जुड़ाई, कटाई, टाँका, लगाना तथा अन्य गरम कार्य।
5. उपकरणों की विफलता।
6. निषिद्ध क्षेत्रों में धूम्रपान करना।
7. रासायनिक प्रक्रिया / अनियमित प्रक्रिया।
8. घर्षण द्वारा प्राप्त ताप / अग्निकरण (चिंगारी)
9. स्वतः प्रज्वलन।
10. अप्रवाहित बिजली द्वारा चिनगारी / प्रज्वलित चिंगारियाँ / आकाशीय विद्युत पात।
11. खुली लपट।
12. पिघली वस्तुएं।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

1. रख–रखाव का उच्चस्तर बनायें रखें।
2. कचरे के डब्बों को कस कर बंद रखें तथा नियमानुसार खाली करें।
3. ज्वलनशील पदार्थों को आग लगने के साधनों से अलग रखें।
4. तेल गैस की रिसाव को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना तथा ज्वलनशील वस्तुओं के बिखराव को साफ करना।
5. ज्वलनशील पदार्थों से भरे हुए सभी पात्रों तथा पाईपों का भूमिकरण करना तथा विद्युतीय–सम्बन्ध (बॉइन्डिग) करना।
6. जिन क्षेत्रों में ज्वलनशील वस्तुएं हो, वहाँ जुड़ाई, कटाई अथवा अन्य गरम कार्यों के लिए वर्क–परमिट अनुदेशों का दृढ़ता से पालन करना।
7. मेल न खाने वाले रसायन को अलग–अलग करना।
8. जहाँ ज्वलनशील वस्तुएं एकत्रित की गई हों अथवा उपयोग में लाई जा रही हो हवा का समुचित संचारबनायें रखना, धूम्रपान निषेध करना, ज्वाला से सुरक्षित विद्युत के उपकरण का प्रयोग करना।
9. उचित क्षमता के फ्यूजों और सर्किट का उपयोग करना।
10. फ्यूजों और विद्युत के नियंत्रण बाक्सों को साफ तथा बन्द रखना।
11. बिजली की मरम्मत कुशल मिस्त्री द्वारा ही कराना।
12. एक सॉकेट में अनेक विद्युतीय उपकरण न लगाना।
13. सभी मशीनों / उपकरणों को तेल पानी डाल कर उचित अवस्था में रखना तथा उनकों ठीक से एलायन करना ताकि गर्मी पैदा ही न हो।
14. नियमों के अनुसार उद्योग में अग्निसुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
15. आग लगने की सूचना पुलिस / फायर कन्ट्रोल को दें।

उचित फायर एक्सटिंग्यूशर का चुनाव					
फायर एक्सटिंग्यूशर के प्रकार	आग बुझाने का सिद्धान्त	ए–क्लास फायर पेपर, लकड़ी, कपड़ा अन्य कार्बोनेसियस मेटेरियल इत्यादि	बी–क्लास फायर ज्वलनशील तरल पदार्थ, तेल पेट्रोल /डीजल, रसायन, पेन्ट तथा सालवेन्ट इत्यादि	सी–क्लास फायर गैस इत्यादि की आग	डी–क्लास फायर बिजली/मेटल इत्यादि
वाटर टाईप	कूलिंग	हॉ	नहीं	नहीं	नहीं
केमिकल/ मैकेनिकल फोम	ब्लैंकेटिंग	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं
ड्राई पाउडर	ब्लैंकेटिंग	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ (स्पेशल ड्राई पाउडर)
कार्बन डाई आक्साईड	ब्लैंकेटिंग	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं
फायर एक्सटिंग्यूशर	ब्लैंकेटिंग	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं

महत्वपूर्ण टेलीफोन नं०

क्रम सं.	स्थान/अधिकारी	कार्यालय	आवास
1.	फायर कन्ट्रोल रूम	101	—
2.	पुलिस कन्ट्रोल रूम	112	—
3.	फायर स्टेशन	—	—
4.	पुलिस स्टेशन	—	—
5.	जिलाधिकारी	—	—
6.	पुलिस आयुक्त/	—	—
	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/	—	—
	पुलिस अधीक्षक	—	—
7.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	—	—
8.	अपर जिलाधिकारी	—	—
9.	अपर पुलिस अधीक्षक	—	—
10.	उप जिलाधिकारी	—	—
11.	उप पुलिस अधीक्षक	—	—
12.	तहसीलदार	—	—
13.	प्रभारी निरीक्षक, थाना	—	—
14.	अग्निशमन अधिकारी	—	—